(04)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– राजवीर सिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 39/2016

मंगतूराम पुत्र श्री बृजलाल जाति स्वामी निवासी सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये प्रतिनिधि भूधारक तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सुथार
2. पैरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21.08.2019

1. यह अपील बहुकम तहसीलदार राजस्व सूरतगढ दिनांक 15.04.2004 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य निम्न प्रकार हैं कि अपीलांट का रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 428 में 12.00 बीघा भूमि व खसरा नं. 439 की 13.00 बीघा रकबा पर लगभग 30 वर्ष पुराना कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त रकबा का नाजायज काश्तकार एवं अतिक्रमी मानकर 179 रूपये पैनल्टी राशि अधिरोपित करते हुए फसल कुर्क करने व कुर्क शुदा फसल नीलाम करने तथा जैर अपील भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक राज्य सरकार को देने का आदेश पारित किया है। अपीलांट जैर रकबा का कब्जा नियमन का पात्र होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए हल्का पटवारी की पी. 14 की रिपोर्ट के आधार पर बिना जांच किये ही अपने ही कयाशों पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधि विरूद्ध है एवं काबिल निरस्ती है। मातहत अदालत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया। मातहत अदालत ने अपने ही कयासों के आधार पर अपीलांट के पीठ पीछे जैर अपील आदेश पारित किया है जो पूर्णतया कानून के विपरीत है।
2. उक्तानुसार अपील 39/16 पर दर्ज की जाकर रेस्पोंडेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की और से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार पेश हुए एवं रेस्पोडेंट की ओर राज पेरोकार उपस्थित आए।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि तहसीलदार, सूरतगढ द्वारा अपीलांट को बिना सुने बिना कोई सूचना दिये अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय दिनांक 15.04.2004 पारित कर दिया जिसमें अपीलांट को चार–चार सजाएं एक साथ दे दी गई है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि जैर अपील आदेश पारित करते समय पटवारी एवं आइ.एल.आर की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए एकतरफा टिप्पणी के आधार पर आदेश पारित किये हैं। जवाब बहस में राज पैरोकार ने कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज कब्जा काश्त कर अतिक्रमण किया है रिपोर्ट पटवारी सही है एवं अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था जिसकी विधिवत तामील भी हुई है परन्तु अपीलांट उपस्थित नहीं आया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
31 सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

(05)

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन एवं चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि अपीलांट पिछले 30 वर्षों से जैर रकबा भूमि पर काबिज है एवं कब्जा नियमन की पत्रावली जैरकार है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सूरतगढ के निर्णय दिनांक 15.04.2004 को अपास्त करते हुए इस आश्य के साथ रिमाण्ड की जाती है कि कब्जा नियमन की पत्रावली पर गौर करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner